# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 162 / 2009

वादीगण

नारायण पुत्र पुरखाराम के वारिसान

1 / 1.मांगीलाल पुत्र नारायण

1 / 2.चौथाराम पुत्र नारायण

1 / 3.पप्पाराम पुत्र नारायण

1 / 4.मोहन पुत्र नारायण

1 / 5.केसी पत्नि नारायण

जाति भील निवासी गोपड़ी

तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

**बनाम** प्रतिवादी

1.हलीम पुत्र मीराजी जाति मुसलमान

निवासी नवोड़ा बेरा तहसील पचपदरा

2.मका पुत्र मीराजी जाति मुसलमान

निवासी नवोड़ा बेरा तहसील पचपदरा

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश नारायण अधिवक्ता,वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री चेलाराम कुमावत व श्री जूझाराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से उपस्थित।

## निर्णय

दिनांक– 23·9·2022

1. संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम गोदारो की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 49 / 4(वर्तमान खसरा संख्या 208 / 25)रकबा 25–00 बीघा भूमि वादी की खातेदारी की आई हुई थी,वादी जाति से भील है और जो कानूनन वादी अनुसूचित जन जाति से होने के कारण वादी की भूमि कानूनन खरीद

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नहीं सकते है। प्रतिवादी जाति से मुसलमान जाति व धर्म के है,प्रतिवादी पक्ष ने वादी को धोखे में रखते हुए तत्कालीन राजस्व कर्मचारीयो/अधिकारीयों से मिलीभगत करतें हुए अपने आपकी जाति भील गलत लिखते हुए वादी को धोखे में रख कर वादी की भूमि बेचान करवा दी। जो कि उक्त बेचान रजिस्ट्री अवैध व वाईड है,क्योकि भील जाति की भूमि को अन्य कोई क्रय नहीं कर सकता है। उक्त अवैध बेचान वादी को धोखे में रखते हुए करवाया गया है,ऐसा बेचान प्रारम्भः से ही शून्य व प्रभावहीन होने के कारण वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी में घोषित करवाने व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का वाद पेश किया गया।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा पेश किया और जवाबदावा पेश किया गया।

3.वादी के वाद व प्रतिवादी के जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई। वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–01.नारायण,पी.डब्ल्यू–02.शिवलाल व पी.डब्ल्यू–03. कानाराम के लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किए। दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी.01–ग्राम गोदारो की ढाणी की खसरा संख्या 208/49 जमाबंदी संवत 2061 से 2064 प्रति,ई.एक्स.पी.02.वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रति प्रदर्शित करवाये गये । वकील प्रतिवादी द्वारा वादी गवाहान से जिरह की गई थी।

4.प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य गवाहान पेश करने के पर्याप्ततम अवसर दिए जाने के उपरांत की भी गवाहन नहीं करवाने पर प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई और न ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गयें।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

5.हमनें दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी,वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिए थे,कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 49/4 रकबा 25–00 बीघा भूमि ग्राम गोदारो की ढाणी तहसील पचपदरा में अवस्थित है,वादी भील जाति से है,जो अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है,जिसकी भूमि अन्य धर्म का व्यक्ति क्रय नहीं कर सकते है। लेकिन प्रतिवादी ने बदनियत व

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

धोखे से अपने आपको जाति भील बताते हुए राजस्व कार्मिकों/अधिकारियों से मिलि भगत कर इन्द्राज करवाकर वादी की भूमि को क्रय कर ली गई और रिकार्ड में गलत इन्द्राज करवा दिया। जो कि उक्त अवैध बेचान है, जो प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध की श्रेणी में आता है। क्योंकि उक्त बेचान वादी के पिता को धोखे में रखते हुए करवाया गया था,वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की रहवासी ढाणीया,पानी के टांके व मवेशी के लिए बाड़े इत्यादि बने हुए है। लेकिन प्रतिवादी का राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्टि होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी पक्ष भूमि बेचान करने पर उतारू है। जबकि प्रतिवादी पक्ष को इसका कोई कानूनी हक नही है। मौके पर वादी नारायण व उसके बाद नारायण के वारिसान का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन रेकर्ड में गलत प्रविष्टि होने के कारण वादीगण के साथ अन्याय हुआ है। अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए तर्क दिये कि उक्त अवैध बेचान वादी को धोखे में रखते हुए तथाकथित बेचान रजिस्ट्री अवैध है और वाईड है,क्योंकि भील जाति की भूमि को कोई अन्य जाति का व्यक्ति न तो कानूनन खरीद सकता है और न बेचान रजिस्ट्री करवा सकता है,इसलिए वाईड बेचान रजिस्ट्री से प्रतिवादी को कोई किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादी पक्ष की ओर से बयानात व जिरह से भी प्रमाणीत है,कि उक्त अवैध बेचान प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के संबंध में तथाकथित बेचान अवैध व प्रभावहीन होने के कारण शून्य घोषित करते हुए वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित की जावे तथा वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

6.इसके विपरीत वकील प्रतिवादी की बहस थी,कि वादीगण की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर वाद लाये जाने के कारण निरस्त करने योग्य है,क्योंकि खसरा संख्या 49/4 काफी बड़े रकबे का खसरा था,जिसमें 25 बीघा भूमि पर प्रतिवादी का

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कब्जा काश्त चला आ रहा था। प्रतिवादी की मौके पर रहवासी ढाणीया,पानी के टांके व पशुओ के बाड इत्यादी बने हुए है,कि वादीगण को विवादित मूल खसरे 49 में से 25 बीघा भूमि का आवंटन किया था,जो कागजी आवंटन था,क्योकि आवंटन भूमि कर प्रतिवादी का पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा था,वादी झगडालु प्रवृति का व्यक्ति होने के कारण आये दिन प्रतिवादी से झगडा करता था। इस कारण गांव के मौजूद लोगो ने वादी व प्रतिवादी से समझौता करते हुए नाममात्र की रकम वादी को लेकर प्रतिवादी के पक्ष में सन् 1996 में रजिस्ट्री करवा दी थी और उक्त रजिस्ट्री के आधार प्रतिवादी के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया। इस प्रकार वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। क्योकिं वादीगण का विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही वादीगण द्वारा उक्त बेचान के संबध में पुलिस कार्यावाही की गई। वर्तमान में जमीनों की कीमतों में बढोतरी होने के कारण वादीगण की ओर से गलत तथ्यो के आधार वाद पेश किया है,जो सारहीन होने के कारण खारिज किया जावें।

7.हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेज व बयानात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। यह बात तो स्पष्ट है,कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता नारायण के नाम खातेदारी इन्द्राज थी और नारायणराम जाति से भील था,जिसे प्रतिवादी ने भी स्वीाकार किया है, क्योकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से अपने जवाबदावा व वादी गवाहान से जिरह में यह कहीं साबित नहीं कर पाये है,कि वादीगण जाति से भील नहीं हो और भील अनुसूचित जन जाति से आते है,तथा प्रतिवादी मुसलमान जाति के है,तो कानुनन उक्त भील जाति की भूमि मुसलमान क्रय नहीं कर सकते थे। इसके उपरान्त भी प्रतिवादी पक्ष ने अपने आप को भील जाति का होना दसतावेज में उल्लेखित कर वादग्रस्त भूमि जारिये रजिस्ट्री क्रय कर ली गई और राजस्व रेकर्ड में अमल बरामद

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

करवाया गया,जो कि उक्त तथाकथित बेचान वादी के पिता नारायणराम को धोखे में रखा जाकर होना पाया जाता है,क्योंकि प्रतिवादी मुसलमान जाति के होने के तथ्यों को छुपाते हुए भील जाति के बनकर वादी से बदनियत तरीके से बेचान करवाया गया है, जो कि उक्त बेचान अकृत व प्रभावहीन की घोषणा श्रेणी में आता है और ऐसे विक्रय विलेख को अकृत एवं शून्य की घोषणा राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान की जा सकती है,जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित रामलाल बनाम उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ वगैरा 2016-17(supp) आर.आर.टी.पृष्ठ 299 मे प्रतिवादित किया है,इससे स्पष्ट है कि वादी को धोखे में रखते हुए तथाकथित बेचान रजिस्ट्री अवैध है और वोईड है। वादी पक्ष की ओर से बयानात गवाहान वादी स्वयं नारायण,कानाराम व शिवालाल द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ-पत्रो मे वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा बताया है और उक्त तथाकथित बेचान को धोखे मे रखते हुए करवाया जाना बताया है और उक्त गवाहान से प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह की गई,जिसमें भी वकील प्रतिवादी यह कहीं साबित नहीं कर पाये कि उक्त तथाकथित बेचान वादी नारायण को धोखे में रखकर नहीं करवाया हो,ऐसी सूरत में जो बेचान प्रारम्भः से ही शून्य व प्रभावहीन हो,ऐसा बेचान अकृत व शून्य की श्रेणी में आता है। वकील प्रतिवादी की जिरह में भी वादीगण का कब्जा होना बताया है,इस प्रकार प्रतिवादी जो जाति से मुसलमान होने के उपरान्त गलत आधार पर भील बनकर विवादित भूमि को गलत आधार पर क्रय की है,और रेकर्ड में अमलदरामद करवा दी। जबकि तत्कालीन राजस्व कर्मचारी/राजस्व अधिकारी का उतरदायित्व बनाता था,कि वक्त रजिस्ट्री खरीद व नामान्तकरण पारित के समय दस्तावेजात की समग्र जांच कर कार्यवाही करते। लेकिन तत्समय जांच नहीं किये जाने के कारण ही ऐसा तथाकथित अवैध बेचान हुआ है,जो प्रारम्भः से ही शून्य व प्रभावहीन होने के कारण वादी का वाद स्वीकार योग्य है। वादी पक्ष द्वारा अपने दस्तावेजी व गवाहान साक्ष्य से यह साबित कर पाये

कार्यालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

है कि वादी का वाद स्वीकार योग्य है। जबकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से केवलमात्र मौखिक कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होकर प्रतिवादी का कब्जा काश्त है। लेकिन उक्त तथाकथित बेचान के संबंध में कोई तर्क नहीं रखा। प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य गवाहान पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है इससे स्पष्ट है कि वादी के वाद का प्रतिरोध करने का कोई साक्ष्य सबूत नहीं है। प्रतिवादी पक्ष मुसलमान होकर भी उक्त रजिस्ट्री गलत तरीके से जाति भील अंकित करवाकर विवादित भूमि खरीद कर ली गई इस संबंध में प्रतिवादी यह कहीं साबित नहीं कर पाया है कि प्रतिवादी जाति से मुसलमान नहीं है। ऐसी सूरत में उक्त बेचान वादी नारायण को धोखे में रखकर करवाया जाना पाया जाता है। ऐसा बेचान प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन की श्रेणी मे आता है। उपरोक्त विवेचन के उपरान्त अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वादी का वाद स्वीकार योग्य है

8. लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गोदारो की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 206 49 रकबा 25—00 बीघा भूमि के संबंध में तथाकथित बेचान प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन होने के कारण विक्रय विलेख को अकृत व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(नरेश सोनी)
**सहायक कलक्टर**
**(एस.डी.ओ.)बालोतरा**

निर्णय आज दिनांक 23·09·22 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा